

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प.16(1)राज-6/2004/3

जयपुर, दिनांक- 19.2.14

::अधिसूचना::

इस विभाग द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 13 के उप नियम (1) के अर्न्तगत जिलो में उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित भू-आवंटन सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन पूर्व में समय समय पर किया गया था। अतः उक्त भू-आवंटन सलाहकार समितियों में पूर्व में किए गये सभी गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से



(जे०पी०बुनकर)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
2. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
3. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
4. अधीक्षक, राज. केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 19.2.2014 में प्रकाशनार्थ।
5. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय।
6. उप निबन्धक, वित्त एवं लेखा, राजस्व मण्डल अजमेर।
7. रा.वि.रा. राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
8. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव